न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्याः– 22/2020

प्रार्थी :–

खेताराम पुत्र श्री सॉवलराम जाति जाट निवासी ग्राम सन्तोडा खुर्द तहसील तिवरी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मंगलाराम पुत्र श्री सिमरथाराम
2. सोनाराम पुत्र श्री मंगलाराम
3. बादरराम पुत्र श्री मनीराम
4. बभुताराम पुत्र श्री भीखाराम
5. मोहनराम पुत्र श्री भीखाराम
6. पनाराम पुत्र श्री छोगाराम
7. ताजाराम पुत्र श्री छोगाराम
8. रामूराम पुत्र श्री छोगाराम
9. धर्माराम पुत्र श्री छोगाराम
10. जेताराम पुत्र श्री केनाराम
11. मोहनलाल पुत्र श्री केनाराम
12. ओमप्रकाश पुत्र श्री केनाराम
13. गोविन्दराम पुत्र श्री रावतराम
14. हरीराम पुत्र श्री रावतराम
15. धुमाराम पुत्र श्री रावतराम
16. श्यामाराम पुत्र श्री रावतराम
17. बुधाराम पुत्र श्री रावतराम
18. हडमानराम पुत्र श्री धन्नाराम
19. मूलाराम पुत्र श्री धन्नाराम
20. मिरगो पत्नी श्री धन्नाराम
21. गोकलराम पुत्र श्री दुर्गाराम
22. कृष्णगोपाल पुत्र श्री दुर्गाराम
23. खुमाराम पुत्र श्री दुर्गाराम

Scanned with CamScanner

24. जोगाराम पुत्र श्री दुर्गाराम

25. अनु देवी पुत्री श्री दुर्गाराम

26. केलम पुत्री श्री दुर्गाराम

27. कमला पत्नी श्री दुर्गाराम

28. लाबुराम पुत्र श्री सिमरथाराम

29. बिशनाराम पुत्र श्री लाबूराम

30. मिरगो पत्नी श्री धन्नाराम

31. जेती पत्नी श्री श्यामाराम

32. झमकू पत्नी श्री गोविन्दराम

33. रम्भा पत्नी श्री घुमाराम

34. सोनी पत्नी श्री चुतराराम

35. सुवा पत्नी श्री बुधाराम सभी जाति जाट निवासी ग्रम सन्तोडा खुर्द तहसील तिवरी जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवही

–::निर्णय ::–

दिनॉक :– 07.12.2020

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील तिवरी के राजस्व ग्रम सन्तोडा खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जेलू गागाडी की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 142 रकबा 32 बीघा 18 बिश्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आयी हुई है । प्रार्थी की भूमि के पडौस में दक्षिणी दिशा की तरफ अप्रार्थीगण सख्या 13 से 35 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा सख्या 145/1 रकबा 57 बीघा, व अप्रार्थीगण सख्या 01 व 02 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा सख्या 143/2 रकबा 56 बीघा 03 बिश्वा व अप्रार्थीगण सख्या 03 से 05 की खातेदारी भूमि खसरा सख्या 143/4 रकबा 66बीघा 01 बिश्वा भूमि आयी हुई है। व उतरी दिशा में अप्रार्थीगण सख्या 06 से 09 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा सख्या 141/1 रकबा 19 बीघा 15 बिश्वा आई हुई है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की सीमाओ को आगे पीछे करके खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया था। इसलिए प्रार्थी ने सीमाकन की राशि राजकोश में जमा करवाकर श्रीमान तहसीलदार तिवरी से आदेश प्राप्त करके नियमानुसार हल्का पटवारी से दिनॉक 20.05.2015 को सीमाज्ञान हेतु हल्का पटवारी मौके पर आए व मौके पर सीमाज्ञान का कार्य किया तो अप्रार्थीगण ने विवाद खडा कर दिया। हल्का पटवारी द्वारा किए गए सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थी पत्थरगण पत्थर के खुटे रोपने लगे तो अप्रार्थीगण ने बाधा व रूकावट पैदा की जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को काफी समझाईस भी की लेकिन अप्रार्थीगण नही मान रहे है तथा मौके पर लडाई झगडा करने पर अमादा है इतने दिनो तक प्रार्थी ने समझाईस की कि

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण मान जाएगे तथा सीमा पर पत्थर के खुटे रोपने देगे लेकिन अप्रार्थीगण नही मान रहे है। इसलिए सीमाज्ञान के विवाद बाबत प्रार्थीगण के पास उक्त पत्थरगडडी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प ही नही था। इसलिए प्रार्थी पत्थर गडडी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। सीमाकन रिपोर्ट की नकल पेश की अन्त में ईस्तदुआ चाही कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्रम सन्तोडा खुर्द के खसरा सख्या 142 रकबा 32 बीघा 18 बिश्वा भूमि पटवारी की सीमाकन रिपोर्ट के अनुसार पुनः सीमाज्ञान करवाकर मौके पर पत्थर गडडी करवाने का आदेश फरमावे साथ ही एस.एच.ओ. मथानिया को आदेश फरमावें कि उक्त पत्थर गडडी के कार्य सम्पादन में समुचित पुलिस इमदाद दिलायी जावे। ताकि मौके पर किसी प्रकार की अशान्ति नही हो तथा सुचारू रूप से पत्थर गडडी का कार्य सम्पादित किया जा सके ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस के अनुपस्थित जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए जेलू गागाडी की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 142 रकबा 32 बीघा 18 बिश्वा प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा उक्त सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थी पत्थरगडडी करवाना चाहता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 142 रकबा 32 बीघा 18 बिश्वा का हल्का पटवारी द्वारा दिनॉक 20.05.2015 को सीमाज्ञान किया गया है तथा उक्त फर्द में मौतबीर के रूप में भी पडौसी खातेदारो के हस्ताक्षर करवाए गए है। उक्त भूमि प्रार्थी अकेले की खातेदारी की भूमि है जो राजस्व रेकर्ड जामबन्दी से स्पष्ट है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्रम जेलू गागाडी की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 142 रकबा 32 बीघा 18 बिश्वा भूमि का पुन सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान की पत्थरगडडी की जाने बाबत तहसीलदार तिवरी को आदेश दिया जाता है तथा पुलिस थाना मथानिया को आदेशित किया जाता है कि वक्त पत्थरगडडी समुचित पुलिस ईमदाद दिलायी जावे ताकि मौके पर वक्त पत्थरगडडी शान्ति व्यवस्था बनी रहे।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 07.12.2020 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned with CamScanner